

कर्मिता

बनाम

वाकूसाल

न्यायालय का नाम :- उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर

केस सं. 125 / 202.4...

आज्ञा विस्तृत रूप से

| क्र. सं. | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | विस्तृत रूप से |
|----------|---------------------------|---|
| | 28.3.25 | <p>अधिवक्ता वादीया द्वारा प्रार्थना पत्र वाकवत पत्रवली तत्काल प्रस्थाने एवं विद्वां किये जाते प्रस्तुत करते पर पत्रवली आज दिनांक 28/3/2025 को तत्काल की गयी। अधिवक्ता वादीया द्वारा प्रार्थना पत्र इस माबत का पैरा लिया गया है कि वाद पत्र एवं वाद पत्र के साथ प्रस्तुत बंधागी विधेधाला प्रार्थना पत्र में राजीनामा ही चुना है। अब वादीया वाद पत्र व न. न. के आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहती है तथा अपने दावे व न. न. की विद्वां करना चाहती है। अतः अधिवक्ता वादीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद विद्वां करने की अनुमति प्रदान करे।</p> <p>अधिवक्ता वादीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं पत्रवली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता वादीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत धीयणा आतेदारी व स्थायी विधेधाला वाद पत्र की विद्वां किया जाने स्वीकार किया जाना न्यायैचित प्रतीत होता है। अतः अधिवक्ता वादीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत वाद विद्वां किये जाने स्वीकार किया जाकर वादीया का वाद बाबत धीयणा आतेदारी व स्थायी विधेधाला विद्वां प्रार्थना पत्र के आधार पर स्वीकार किया जाता है। पत्रवली फेसल शुमार घेकर नंबर ले कम घेकर धारिस दफ्तर हो।</p> |

उपर्युक्त वाद पत्र में आगे न्यायिक कार्यवाही नहीं चाहते है इसलिये उक्त वाद पत्र को नवीन वाद पत्र

28/3/25
 (उपखण्ड अधिकारी)

उपखण्ड अधिकारी
 जोबनेर, जयपुर